

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

आदेश

बन्दोबस्त प्रदाधिकारी, अररिया के पत्रांक-1100(II) दिनांक-25.10.2023 के द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय द्वारा निर्गत आदेश संख्या-685 दिनांक-17.03.2022 की कंडिका-3 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत श्रीमती कृति सिन्हा, विशेष सर्वेक्षण लिपिक (आई0डी0 सं0-SCL01613) बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया को दिनांक-17.03.2022 से 22.07.2022 (कुल 127 दिनों) का प्रथम शिशु के जन्म हेतु उपभोग की गई मातृत्व अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Signed by Jai Singh

Date: 09-02-2024 12:14:55

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित विशेष सर्वेक्षण लिपिक को सूचनार्थ प्रेषित।
2. बन्दोबस्त प्रदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत संधारित संविदा कर्मियों के व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।